ELE/8/2024-ELECT-1-Election Department

I/215022/2024

260

कार्यालयः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून–
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स न0 (0135) -2713724 फोन न0(0135) – 2713551

संख्या 3172/XXV–12(P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 01 जून,2024

सेवा में,

श्री सुशील वर्मा,
वार्ड नं0–06
नगर पंचायत बनबसा
जिला चम्पावत उत्तराखण्ड पिन–262310
मो0–7302254903

पंजीकृत

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–282 दिनांक 27 मई, 2024 के साथ संलग्न श्री सुशील वर्मा, वार्ड नं0–06 नगर पंचायत बनबसा जिला चम्पावत उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 28.05.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना के अधिकार में बिन्दु संख्या–01 की सूचना चाही गई है।

उक्त के क्रम में बिन्दु संख्या–01 की सूचना (दो पृष्ठ) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,

Signed by Basant Singh Rawat
Date: 01-06-2024 13:06:58

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

पुन:समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुन:समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

परंतु यह और भी कि जब तक सन् [1][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक [2][इस अनुच्छेद के अधीन,—

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित स्थानों के आबंटन का; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो [3][2001] की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित किए जाएं, [पुन:समायोजन आवश्यक नहीं होगा।]

83. संसद् के सदनों की अवधि—(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए, उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [4][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [4][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, तब, संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

84. संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

[5][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[6] द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं।

[7][**85. संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन**—(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर—

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा ।]

* * * * * * *

1. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा (21-2-2002 से) "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा (21-2-2002 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (22-6-2003 से) "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 13 द्वारा (20-6-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 3 और 4 आगे भाग 2 में देखिए ।
7. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा (18-6-1951 से) अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं ;

(घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा ।

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि—(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [1][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [1][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

[2][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[3] द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

[4][**174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन**—(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।]

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 द्वारा (3-1-1977 से) "पांच वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 द्वारा (6-9-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा (5-10-1963 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 5, 5क और 6 आगे भाग 2 में देखिए ।
4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 8 द्वारा (18-6-1951 से) अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्राप्त - 2815/24
पत्रवाहक / पंजीकृत

सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

पत्र संख्या– 282 /रा0नि0आ0 / आर0टी0आई0 / 4216 / 2024 दिनांक 27 मई, 2024

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सुशील वर्मा, वार्ड नं0–06, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांक 20.05.2024 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 24.05.2024 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार आवेदन शुल्क हेतु रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या–01 की सूचना आपके विभाग से संबंधित है, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र के बिन्दु संख्या–01 में वांछित सूचना नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7302254903

संख्या– 282 /रा0नि0आ0 / आर0टी0आई0 / 4216 / 2024

प्रतिलिपिः– श्री सुशील वर्मा, वार्ड नं0–06, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत उत्तराखण्ड पिन–262310 मो0 7536886738 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

R.1161|20/05/2024
F. ~~3050~~ 4216/2024

294
24/5/24

To,

The Public Information Officer

State Election Commission, Uttarakhand

SUB - APPLICATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 FOR SEEKING THE UNDER MENTIONED INFORMATION.

That the applicant is Citizen of India and Permanent Resident of Banbassa, Champawat, Uttarakhand sought the following information:-

1. Educational Qualification and Age criteria minimum and maximum for contesting Member of Legislative Assembly Election in Uttarakhand.

2. Educational Qualification and Age criteria minimum and maximum for contesting Adhyaksh, Ward Member, Gram Pradhan in Nagar Palika, Nagar Panchayat and Gram Panchayat Election in Uttarakhand.

Fee to this RTI application is annexed with Postal Order bearing No. **64F 212329**

Date:- 20-05-2024

Received IPO of Rs 10/-
27/5/24

श्री बडोनी

24.05.2024
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Applicant - Sushil Verma

Address- Ward No. 06,

Nagar Panchayat, Banbasa

District - Champawat

Uttrakhand, PIN 262310

Mob.- 7536886738